

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) ग्राम पंचायत जीवली

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. रामप्रसाद पुत्र छिंगा जाति मीना निवासी डोब
 2. बत्तीलाल पुत्र छिंगा जाति मीना निवासी डोब
- बनाम

—प्रार्थीगण

लेण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर
मुकदमा नं. — 37/2016

—अप्रार्थी
निर्णय की दिनांक —08.05.2018

वादीगण की ओर से स्वयं वादीगण एवं प्रतिवादी की ओर से स्वयं प्रतिवादी, की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 08.05.2018 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण विझावल के आधार पर नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ खारिज किया जाता है।

राजीनामा निर्णय का जुज पोरशन रहेगा।


मुनिदेव यादव
सहायक कलेक्टर
गंगापूर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	